SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

सं:प्रशा./स्थानांतरण/01/2024-25
No ADM/TRA/01/2024-25 11298

दिनांक: 01.12.2025
Dated: 01.12.2025

परिपत्र /CIRCULAR

विषय : स्पाइसेस बोर्ड की संशोधित स्थानांतरण नीति का परिचालन–बाबत
Sub: Circulation of revised Transfer Policy of Spices Board– reg.

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्पाइसेस बोर्ड ने कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है, जो 26.06.2025 से प्रभावी है। विस्तृत स्थानांतरण नीति संलग्न है और संदर्भ के लिए बोर्ड के इंट्रानेट/आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है।

It is hereby informed that Spices Board has revised its Transfer Policy, governing the transfer and posting of employees, with effect from 26.06.2025. The detailed Transfer Policy is enclosed and has also been uploaded on the Board's intranet/official website for reference.

प्रभारी निदेशक (प्रशासन)
Director(Admin)i/c

सेवा में,/To

बोर्ड के सभी कर्मचारी
All Employees of the Board

स्थानांतरण नीति

शीर्षक: इस नीति को "स्पाइसेस बोर्ड स्थानांतरण नीति 2024" कहा जाएगा। यह उस तिथि से लागू होगी जिस दिन बोर्ड इसे अनुमोदित करेगा।

प्रस्तावना

1. अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति मुख्यतः संगठन के हित में की जानी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की सुविधा के लिए।
2. इसका व्यापक उद्देश्य अधिकारियों को व्यापक अनुभव प्रदान करके ईमानदारी को बढ़ावा देना, प्रशासन की दक्षता में वृद्धि करना तथा सार्वजनिक कर्तव्य की भावना और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है।
3. इस स्थानांतरण नीति का उद्देश्य वार्षिक सामान्य स्थानांतरण में मानक मानदंड, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता एवं स्पष्टता की धारणा को बढ़ाना है।
4. अपनी पसंद के स्थान से बाहर तैनात कोई कर्मचारी न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के बाद अपनी पसंद के स्थान पर तैनाती के लिए पात्र होगा।
5. पोस्टिंग की कठिनाइयों/लाभों को यथासंभव समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।
6. इसके अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों और मानदंडों के बावजूद, सचिव को संगठन और उसके कार्यों के समग्र हित में स्थानांतरण और तैनाती का आदेश देने का विवेकाधिकार होगा।

1. स्थानान्तरण

1.1 स्थानांतरण समिति

दो स्थानांतरण समितियाँ होंगी, एक वर्ग 'क' के अधिकारियों के लिए और दूसरी वर्ग 'क' के कैडर से नीचे के अधिकारियों के लिए। वर्ग 'क' के अधिकारियों की समिति में सचिव, निदेशक (प्रशासन), निदेशक (विपणन), निदेशक (विकास), निदेशक (वित्त) और निदेशक (अनुसंधान) सदस्य होंगे। समिति का कोरम सचिव, निदेशक (प्रशासन) (प्रशासन के प्रभारी) और दो निदेशकों में से कोई एक है। वर्ग 'क' के अलावा अन्य अधिकारियों के लिए स्थानांतरण समिति में निदेशक (प्रशासन), निदेशक (विपणन), निदेशक (विकास), निदेशक (वित्त), निदेशक(अनुसंधान) और उप निदेशक (प्रशासन) शामिल होंगे। समिति का कोरम निदेशक (प्रशासन) और दो निदेशकों में से कोई एक है। हालाँकि, सचिव दोनों स्थानांतरण समितियों को एक साथ आयोजित कर सकते हैं।

बाहरी स्थानांतरणों के मामले में, स्थानांतरण समिति की बैठक जनवरी माह में होनी चाहिए और स्थानांतरण आदेश सामान्यतः मार्च के अंत तक जारी कर दिए जाने चाहिए। इससे अधिकारियों को बच्चों की शिक्षा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, सचिव द्वारा जनहित में असाधारण स्थानांतरण समिति की बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं।

कर्मचारियों और अधिकारियों के सभी स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश सचिव के अनुमोदन से निदेशक (प्रशासन) द्वारा जारी किए जाएंगे।

1.2 बाहरी स्थानांतरण

किसी भी स्थान पर एक अधिकारी की तैनाती की अधिकतम अवधि सामान्यतः तीन वर्ष तक सीमित होती है। उत्तरपूर्वी राज्यों में तैनाती के मामले में, यह अवधि सामान्यतः दो वर्ष तक सीमित होती है।

1.3 अनुभाग स्थानांतरण

सहायक निदेशक से नीचे के पद के किसी अधिकारी के लिए किसी अनुभाग में अधिकतम तीन वर्ष तक पदस्थापना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक तीन वर्ष में एक अधिकारी का दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण किया जाएगा। एक ही कार्य को बार-बार दोहराने की नीरसता से बचने और अनुभाग में सभी गतिविधियों को सीखने के लिए,

अनुभाग के कर्मचारियों के बीच एक निश्चित समयावधि में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में परिवर्तन की संभावना तलाशने की आवश्यकता है।

1.4 पदोन्नति पर स्थानांतरण

1.1 पदोन्नति होने पर, पदोन्नत व्यक्ति को रिक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना चाहिए, चाहे उसने अपनी पसंद के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर कार्य किया हो या नहीं। हालाँकि, संबंधित व्यक्ति को उसकी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बशर्ते कि बाद में उस स्थान पर कोई रिक्ति उत्पन्न हो और वह इस संबंध में अनुरोध करे।

1.2 ऐसे अवसरों पर जब एक से अधिक अधिकारियों को एक ही श्रेणी के पदों पर पदोन्नति पर स्थानांतरित/तैनात किया जाना हो, तो सबसे वरिष्ठ अधिकारी को उसकी पसंद के स्थान के निकट और कनिष्ठ अधिकारियों को दूर के स्थानों पर तैनात किया जाएगा। हालाँकि, यदि किसी विशेष मामले में शामिल वरिष्ठ अधिकारी ने बाहर काम नहीं किया है और संबंधित कनिष्ठ अधिकारी ने उचित अवधि तक काम किया है, तो वरिष्ठ अधिकारी को बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अनुपालन न करने पर पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी।

1.3 सचिव को पदोन्नति पर कर्मचारियों को तैनाती प्रदान करने का विवेकाधिकार होगा, ताकि उनकी कठिनाई को कम किया जा सके।

2. सामान्य स्थानान्तरण

प्रारंभिक तैनाती की तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर, जनहित में स्थानांतरण किए जा सकते हैं। ऐसा करते समय, जहाँ तक संभव हो, सेवा अवधि, घोषित स्थान, विभिन्न स्थानों पर सेवा अवधि और आयु, तथा यदि पति/पत्नी कार्यरत हैं, तो सेवा की प्रकृति और तैनाती स्थान को ध्यान में रखा जाएगा।

3. बाहरी स्थानों पर सेवा की अवधि (उत्तरपूर्वी /जम्मू–कश्मीर को छोड़कर)

किसी भी स्टेशन पर तैनाती की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होगी। बाहरी सेवा के दौरान अर्जित अवकाश (ईएल और एचपीएल) से अधिक अवकाश की अवधि को सेवा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा और सामान्यतः उस अवधि की समाप्ति से पहले स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। लोक सेवा की अनिवार्यताओं के कारण असाधारण मामलों में अवधि बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि, यदि बीच में चुने गए स्थान पर कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो सचिव के पूर्ण विवेक पर, आवेदक की अन्य आवेदकों के प्रति पात्रता के अधीन, स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है।

3.1 उत्तरपूर्वी क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर में सेवा की अवधि

उत्तरपूर्वी क्षेत्र और जम्मू–कश्मीर से स्थानांतरण के लिए पात्र होने के लिए, अधिकारी को दो वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। उत्तरपूर्वी /जम्मू–कश्मीर सेवा के दौरान अर्जित अवकाश (ईएल और एचपीएल) से अधिक अवकाश की अवधि को सेवा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा और सामान्यतः उस अवधि की समाप्ति से पहले स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, सार्वजनिक सेवा की अनिवार्यताओं के कारण असाधारण मामलों में अवधि बढ़ाई जा सकती है।

4. स्थानांतरण का अनुरोध

4.1 स्थानांतरण के लिए अनुरोध प्रतिवर्ष 31 दिसंबर से पहले मुख्यालय में पंजीकृत किए जाएंगे। किसी विशेष वर्ष की 31 दिसंबर तक प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर आगामी सामान्य स्थानांतरणों में ही विचार किया जाएगा। । कोई विशेष अनुरोध, अनुरोध की तिथि से एक वर्ष तक या उसे वापस लिए जाने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

4.2 अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण के अनुरोध पर, सामान्यतः उन व्यक्तियों के स्थानांतरण पर पहले विचार किया जाएगा जिन्होंने अपनी पसंद के स्थान से बाहर सबसे लंबे समय तक काम किया हो। यदि अनुरोधित स्थानांतरण के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उसकी पसंद के स्थान से स्थानांतरित किया जाना है, तो विस्थापित होने वाले व्यक्ति ने उस स्थान पर कम से कम तीन वर्ष की अवधि पूरी करनी होगी।

4.3 उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन, अपेक्षाकृत लंबी बाहरी सेवा वाले कर्मचारी, गृह/अनुरोधित स्थान पर स्थानांतरण/तैनाती के पात्र हैं और तुलनात्मक रूप से कम बाहरी सेवा वाले कर्मचारी बाहरी रिक्तियों पर स्थानांतरण/तैनाती के पात्र हैं। ऐसी तुलना के प्रयोजन के लिए, कुल सेवा के एक अंश के रूप में व्यक्त बाहरी सेवा की सीमा (स्पाइसेस बोर्ड के अंतर्गत) आधार होगी।

4.4 समान पदों पर आसीन अधिकारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि अन्य योग्य कर्मचारियों के दावे और कार्यालय कार्य प्रभावित न हों। हालाँकि, ऐसे पारस्परिक रूप से स्थानांतरित कर्मचारियों को भविष्य में स्थानांतरण से छूट नहीं मिलेगी।

4.5 एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के अनुरोधों पर विचार करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाएगा।

(क) अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरणों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले सहित उत्तरपूर्वी राज्यों में कार्यरत लोगों को अपने गृह राज्य/पड़ोसी राज्यों में नियुक्ति पाने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) दूसरी प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो अपने गृह राज्य से बाहर काम करते हैं लेकिन अपने गृह राज्य/पड़ोसी राज्यों में पोस्टिंग के इच्छुक हैं।

(ग) अंतिम प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो अपने गृह राज्य में कार्यरत हैं, लेकिन अपने गृह जिले में नहीं तथा गृह जिले में पोस्टिंग के इच्छुक हैं।

(घ) क्षेत्र: उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण

1. उत्तर (दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश)
2. उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सिक्किम, त्रिपुरा)
3. पूर्व (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल)
4. पश्चिम (गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान)
5. दक्षिण (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, तेलंगाना)
6. जम्मू एवं कश्मीर

5. एक ही स्टेशन पर पति और पत्नी की पोस्टिंग के लिए स्थानांतरण नीति

पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती का मामला स्थानांतरण नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने समय-समय पर पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के लिए निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी समेकित दिशानिर्देश, दिनांक 30-9-2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.28034/9/2009-स्था. (ए) के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित नियम, 2009 बोर्ड पर लागू होंगे। तथापि, जहाँ तक संभव हो, पति-पत्नी को एक ही स्थान पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर पदस्थापन दिया जाएगा:-

i. स्पाइसेस बोर्ड के अधीन कार्यरत जीवनसाथी।
ii. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत जीवनसाथी।
iii. राज्य सरकार के अधीन कार्यरत जीवनसाथी, जिसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं।
iv. निजी क्षेत्र के संगठनों के अंतर्गत कार्यरत जीवनसाथी।

6. स्थानांतरण/क्रमावर्ती स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया से छूट।

सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर सभी ग्रेड के अधिकारियों को यथासंभव क्रमावर्तीस्थानांतरण से छूट दी जा सकती है।

7. दिव्यांगजन कर्मचारियों/कर्मचारी का स्थानांतरण और नियुक्ति जो निर्दिष्ट विकलांगता वाले आश्रित पुत्री/पुत्र/माता-पिता/पति/पत्नी/भाई-बहन की देखभाल करने वाला हो।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन, 17 अप्रैल, 2017 के साथ, स्थानांतरण/क्रमावर्ती स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया से छूट प्राप्त करने की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

i. एक दिव्यांग कर्मचारी जो निर्दिष्ट दिव्यांगता वाली आश्रित बेटी/बेटे/माता–पिता/पति/पत्नी/भाई/बहन की देखभाल करने वाला है, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) के तहत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के रूप में प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है, को स्थानांतरण/क्रमावर्ती स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया से छूट दी जा सकती है और कार्यालय की उपलब्धता और आवश्यकता के अधीन उसकी पसंद के स्थान को वरीयता दी जाएगी।

ii. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में परिभाषित "निर्दिष्ट दिव्यांगता" शब्द के अंतर्गत (i) कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, पेशी दुर्विकास और एसिड हमले के पीड़ितों सहित लोकोमोटर दिव्यांगता (ii) अंधापन (iii) कम दृष्टि (iv) बधिर (v) सुनने में कठिनाई (vi) भाषण और भाषा दिव्यांगता (vii) विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार सहित बौद्धिक दिव्यांगता (viii) मानसिक बीमारी (ix) निम्न के कारण होने वाली दिव्यांगता शामिल हैं: (क) न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे मल्टीपल स्केलेरोसिस और पार्किंसंस रोग (ख) रक्त विकार–हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग और (x) बहु दिव्यांगता (उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक) जिसमें बधिर अंधापन और दिव्यांगता की कोई अन्य श्रेणी शामिल है, जिसे समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

iii. यहां परिभाषित 'निर्दिष्ट विकलांगता' शब्द केवल एक दिव्यांग कर्मचारी द्वारा नियमित स्थानांतरण/चक्रीय स्थानांतरण से छूट प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए आधार के रूप में लागू होता है, जो आश्रित बेटी/बेटे/माता–पिता/पति/पत्नी/भाई/बहन का देखभालकर्ता है, जैसा कि ऊपर पैरा 3(1) में कहा गया है। (ई.सं.42011/3/2014–स्था., (निर्णय) दिनांक 08.10.2018) और समय–समय पर संशोधित।

8. संवेदनशील और गैर–संवेदनशील पोस्टिंग के बीच क्रमावर्ती:

1. संवेदनशील प्रभारों में अधिकारियों की सेवा का कार्यकाल सामान्यतः प्रत्येक पोस्टिंग के लिए दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. संवेदनशील और गैर–संवेदनशील प्रभारों के बीच पोस्टिंग का क्रमावर्ती किया जाएगा ताकि सर्वांगीण अनुभव और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, ऐसे मामले में जहां संवेदनशील प्रभारों में पोस्टिंग के लिए प्रशासनिक या सतर्कता कारणों से पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, अधिकारियों को एक संवेदनशील प्रभार से दूसरे संवेदनशील प्रभार में घुमाया जा सकता है।

संवेदनशील पद: संवेदनशील पद वे होते हैं जिनमें बोर्ड की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों के साथ सीधा संपर्क शामिल होता है, जो आवंटित बजट के विरुद्ध प्रत्यक्ष व्यय का हिस्सा होता है। इन पदों का किसानों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों सहित योजना लाभार्थियों की पहचान, मूल्यांकन और चयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दो साल से अधिक समय तक ऐसे पदों पर बने रहने से निहित स्वार्थों का विकास हो सकता है, जिससे संगठन की निष्पक्षता और अखंडता पर संभावित रूप से समझौता हो सकता है। इन पदों के लिए क्रमावर्ती ट्रांसफर से निहित स्वार्थों की संभावना को खत्म करने, भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने और सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

9. सामान्य

1. किसी कर्मचारी का गृह/पसंदीदा स्टेशन उसके द्वारा कार्यालय को दिए गए स्थायी पते के आधार पर तय किया जाएगा। यदि कर्मचारी को अपने स्थायी पते के निकटतम स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन के लिए वरीयता है, तो उसे निर्धारित तिथि से पहले सूचित किया जा सकता है। कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान यह वरीयता एक बार बदली जा सकती है। हालाँकि, "स्थानांतरण अनुरोध" के अंतर्गत क्रम संख्या 5 के अंतर्गत कार्यरत पति–पत्नी के मामले में, पति/पत्नी के स्थानांतरण की स्थिति में इस छूट को माफ किया जा सकता है।

2. सामान्य स्थानांतरण आदेशों के समय के संबंध में, स्कूल/कॉलेजों आदि में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव हो, आदेशों को अंतिम रूप दिया जाए और हर साल मार्च के अंत तक जारी किया जाए।

10. पूर्वगामी प्रावधानों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सचिव सार्वजनिक सेवा की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए इस नीति में पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी में भी छूट दे सकते हैं।

11. कोई भी कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण और नियुक्ति पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी पर बाहरी/राजनीतिक प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसी गतिविधियों को कदाचार माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर सीसीएस आचरण नियम 1964 के नियम 20 के प्रावधानों के साथ सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

12. यदि उपरोक्त प्रावधानों में से कोई भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के विपरीत है, तो सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश ही मान्य होंगे।

13. स्थानांतरण नीति के तहत प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ कोई भी मामला या मुद्दा या विवाद, माननीय केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

TRANSFER POLICY

Title: The policy shall be called "The Spices Board Transfer Policy 2024". It shall come into force from the date on which Board approves it.

Preamble:

1. Transfers and postings of officers and staff are to be made primarily in the interest of the organization and not to suit any individual's convenience.
2. The broader objective is to promote integrity, enhance efficiency of administration and to encourage the sense of public duty and commitment to public service by giving wide range of exposure to the officers.
3. The aim of this transfer policy is to provide standard norms, transparency, objectivity and increased perception of fairness and clarity in annual general transfers.
4. An employee posted outside his/her place of choice shall be eligible for a posting at a place of his/her choice after a minimum period of three years.
5. The hardships/advantages of the postings are to be distributed equitably as far as possible.
6. The principles and norms laid down hereunder notwithstanding, the Secretary will have discretion to order transfers and postings in the overall interest of the organization and its functions.

1.Transfers

1.1 Transfer committee

There will be two transfer committees, one for Group 'A' officials and the other for officials below the cadre of Group A. In the committee for Group 'A' officials, Secretary, Director (Admin), Director (M), Director (Dev), Director (Fin.) and Director (Res.) will be the members. The quorum of the committee is the Secretary, Director (Admin) (in charge of Admin), and any of the two Directors. The transfer committee for officials other than Group A will consist of Director (Admin),

Director (M), Director (Dev), Director (Fin.), Director (Res.) and Deputy Director(Admin.). The quorum of the committee is Director (Admin.) and any of the two Directors. However, Secretary can hold both the transfer committees together.

In the case of outstation transfers, the transfer committee should meet during the month of January and the transfer order should normally be issued by the end of March. This will enable the officials to plan the children's education. In addition to the above, extra ordinary Transfer Committee Meetings can be convened by the Secretary in public interest.

All transfer and posting orders of the staff and officials shall be issued by the Director (Admin.) with the approval of Secretary.

1.2 Outstation transfer

The maximum number of years, an official is to be posted at any place at a stretch is normally limited to three years. In the case of postings in North Eastern states, the number of years is normally limited to two.

1.3 Section transfers

The maximum number of years, an official below the rank of Assistant Director, to be posted in a section is three years. In other words, every three year an official will be transferred to another section. In order to avoid the monotony of repeating the same work and also for learning all activities in a section, the possibility of changing the duties and responsibilities among the staff within the section at a specified time period need to be explored.

1.4 Transfer on promotion

1.1 On promotion, the promoted person should join at the place of vacancy irrespective of whether he/she has worked in a station other than the place of choice or not. However, the person concerned may be transferred to a place of his/her choice provided a vacancy arises in such a place subsequently and if he/she makes a request to this effect.

1.2 On occasions when more than one official are to be transferred/posted on promotion to the same category of posts, the senior most official will be posted to a place nearer to his/her place of choice and the juniors to farther places. However, if the senior involved in a particular case has not worked outside and the junior involved has worked for a reasonable length of time, then the senior will move out. Non-compliance will lead to relinquishment of promotion.

1.3 Secretary will have the discretion to provide postings to employees on promotion, so as to mitigate their hardship.

2. General transfers

On completion of a three-year period of initial posting, transfers could be carried out in public interest. While doing so, consideration will be given as far as possible to length of service, place of choice declared, length of service in different stations and age and if the spouse is working, the nature of service and the place of postings of the spouse.

3. Period of Service in Outstation (Except NE /J&K)

The period of posting in any station will ordinarily be three years. The period of leave in excess of

the leave(EL & HPL) accrued during the tenure of outstation service will be excluded while counting the service and transfers will not normally be considered before the expiry of that period. The period may be extended in exceptional cases in exigencies of public service. However, if vacancy arises in between at the place of choice, transfer can be considered at the sole discretion of the Secretary, subject to the applicant's eligibility vis-à-vis other applicants.

3.1 Period of Service in North-eastern Region *and Jammu & Kashmir*

To be eligible for transfer from North-eastern Region *and Jammu & Kashmir*, official needs to complete 2 years of service. The period of leave in excess of the leave(EL & HPL*)* accrued during the tenure of NE/J&K service will be excluded while counting the service and transfers will not normally be considered before the expiry of that period. However, the period may be extended in exceptional cases in exigencies of public service.

4. Request transfer

4.1 Request for transfers will be registered in the Head Office from year to year, before 31st December. Such requests received up to 31st December of a particular year will only be considered in the ensuing general transfers. A particular request will be valid for one year from the date of request or until it is withdrawn, whichever is earlier.

4.2. Transfers on request to stations of one's choice will normally be considered first from persons who have worked outside his place of choice for the longest period. If another person has to be transferred from the station of his/her choice for effecting the transfer requested for, the person to be displaced should have completed at least a period of three years at that station.

4.3.Subject to other conditions mentioned, employees with comparatively longer outstation services are eligible for transfer/posting to home/request station and employees with comparatively shorter outstation service are liable for transfer/posting to outstation vacancies. For the purpose of such comparison, the extent of outstation service expressed as a fraction of total service (under the Spices Board) shall be the basis.

4.4. Requests for mutual transfers will be considered from officials holding similar posts if the claims of other deserving employees and office work are not affected. However, such mutually transferred employees will not have immunity from future transfer.

4.5. In considering requests for transfers from one place to another the following priorities shall be observed.

(a) First priority shall be given to inter-regional transfers i.e., those working in North Eastern States including Sikkim and Darjeeling District of West Bengal shall have top priority in seeking posting in their Home State/ neighboring States.

(b) Second priority shall go to those who work outside their home state but desirous of a posting in their home State / neighboring States.

(c) Last priority shall go to those working in their home State but not in their home District and are desirous of a posting in the home District.

(d) Regions: North, Northeast, East, West, and South

1. North (Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh)

2. Northeast (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland Sikkim, Tripura)

3. East (Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, West Bengal)

4. West (Goa, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan)

5. South (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana)

6. Jammu & Kashmir

5.Transfer policy for posting of husband and wife at the same station

The matter of posting of husband and wife at the same station plays vital role in transfer policy. The DOPT has issued instruction for posting of husband and wife at the same station from time to time. Consolidated Guidelines issued by DoPT vide its OM No.F. No.28034/9/2009-Estt. (A) dated 30-9-2009 as modified from time to time will be applicable to Board. However, as far as possible husband and wife will be given posting in the same place, based on the following priorities:-

i) Spouse working under Spices Board
ii) Spouse working under Central Government including Central PSUs
iii) Spouse working under State Government including State PSUs
iv) Spouse working under private sector organizations

6. Exemption from the routine exercise of transfer/ rotational transfer.

Officers of all grades within two years of superannuation may be exempted from rotational transfers to the extent possible.

7. Transfer and posting of Differently-abled (Divyangjan) employees/employee who is a care-giver of dependent daughter/son/parents/spouse/brother/sister with Specified Disability

With the enactment of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 on April 17, 2017, the following instructions are issued with regard to the eligibility for seeking exemption from routine exercise of transfer/rotational transfer:

(i) A Differently abled employee/ an employee who is a care-giver of dependent daughter/son/parents/spouse/brother/sister with Specified Disability, as certified by the certifying authority as a Person with Benchmark Disability as defined under Section 2(r) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 may be exempted from the routine exercise of transfer/rotational transfer and preference to be given to his place of choice subject to availability of office and requirement.

(ii) The term "Specified Disability" as defined in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, covers (i) Locomotor disability including leprosy cured person, cerebral palsy, dwarfism, muscular dystrophy and Acid attack victims (ii) Blindness (iii) Low-vision (iv) Deaf (v) Hard of hearing (vi) Speech and language disabilities (vii) intellectual disability including

specific learning disabilities and autism spectrum disorder (viii) Mental illness (ix) Disability caused due to: (a) Neurological conditions such as Multiple sclerosis and Parkinson's disease (b) Blood disorder- Haemophilia, Thalassemia and Sickle cell-disease and (x) Multiple disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness and any other category of disabilities as may be notified by the Central Government from time to time.

(iii) The term 'Specified Disability' as defined herein is applicable as grounds only for the purpose of seeking exemption from routine transfer/ rotational transfer by a Differently abled employee/ employee, who is a care-giver of dependent daughter/son/parents/spouse/brother/sister as stated in Para 3(i) above. (F.No.42011/3/2014-Estt. (Res) dated 08.10.2018) and as modified from time to time.

8. ROTATION BETWEEN SENSITIVE AND NON-SENSITIVE POSTING:

1. The tenure of the service of officers in sensitive charges should normally not exceed two years for each posting.

2. There shall be rotation of postings between sensitive and non sensitive charges so as to ensure all-round exposure and efficiency. However, in case where sufficient numbers of officers are not available due to administrative or vigilance reasons for posting to sensitive charges, officers can be rotated from one sensitive charge to another sensitive charge.

Sensitive post: Sensitive posts are those that involve direct interaction with beneficiaries as part of the implementation process of the Board's schemes, which form part of the direct expenditure against the budget allocated. These posts have a significant influence on the identification, evaluation, and selection of scheme beneficiaries, including farmers, exporters, and other stakeholders. Holding such positions for more than two years may lead to the development of vested interests, potentially compromising the objectivity and integrity of the organization. Rotational transfers for these posts would help eliminate the possibility of vested interests, reduce opportunities for corruption, and ensure compliance with the CVC guidelines.

9.General

1. The home station/preferred station of an employee will be decided based on the permanent address of such employee furnished to the office. If the employee has a preference for a station other than the station nearer to his permanent address, this may be furnished before the prescribed date. Such preference may be changed once during the service period of the employee. However, in the case of husband/wife working, as covered under Sl.No.5 under "Request Transfer", this limitation may be waived in the event of the spouse getting transferred.

2. As regards the timing of general transfer orders, taking into account the admission in school/colleges etc., as far as possible, orders may be finalized and issued by end of March every year.

10. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, the Secretary can relax any of the foregoing provisions in this policy considering the exigencies of public service.

11. No employee shall bring outside/political influence upon the competent authority to get a

transfer and posting to his /her place of choice. Such activities shall be deemed misconduct and the person concerned will face disciplinary action under provisions of rule 20 of CCS Conduct Rules 1964 read with the relevant provisions of CCS (CCA) Rules, 1965.

12. If any of the above provisions is in conflict with the guidelines laid down by Government of India, the latter shall prevail.

13. Any matter or issue or dispute against the administrative action under the transfer policy shall be subject to the jurisdiction of the Honorable High Court of Kerala.